मेल / फैक्स

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड देहरादून
Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand
E-mail: eicpwduk@nic.in **Web-http://govt.ua.nic.in/pwd**

पत्रांक 624/06 व्यक-सी०/15 देहरादून, दिनांक 01 अप्रैल, 2015

: कार्यालय ज्ञाप :

उत्तराखण्ड शासन, लोक निर्माण विभाग अनुभाग–2 के पत्र संख्या 1521/III(2)/2015–13(सामान्य)/2015 दिनांक 26.02.2015 के द्वारा प्रमुख अभियन्ता कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून में मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय) की अध्यक्षता में तकनीकी सम्प्रेक्षा प्रकोष्ठ (Technical Audit Cell) का गठन किया गया था। पुनः उत्तराखण्ड शासन, लोक निर्माण विभाग अनुभाग–2 के पत्र संख्या 1663/III(2)/15–13(सामान्य)/2015 दिनांक 30.03.2015 के द्वारा उक्त आदेश को संशोधित करते हुए ₹ 5.00 करोड़ तक की लागत के निर्माण कार्यों हेतु प्रस्तुत आगणनों के तकनीकी परीक्षण हेतु लोक निर्माण विभाग के समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं की अध्यक्षता में निम्नवत् तकनीकी सम्प्रेक्षा प्रकोष्ठ (Technical Audit Cell) का गठन किया गया है :–

1. क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता — **अध्यक्ष**
2. क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता के कार्यालय में कार्यरत अधिशासी अभियन्ता — **सदस्य**
3. क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता के कार्यालय में कार्यरत कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक) — **सदस्य**

गठित तकनीकी सम्प्रेक्षा प्रकोष्ठ द्वारा आगणनों का तकनीकी परीक्षण करते हुए औचित्यपूर्ण लागत इंगित कर आगणन स्वीकृति हेतु शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

उक्त आदेश दिनांक 13 अप्रैल, 2015 से लागू होगें।

प्रमुख अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उक्तानुसार सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं को निर्दिष्ट किया जाता है कि विभागाध्यक्ष कार्यालय में उपलब्ध अपने क्षेत्र के आगणनों को दिनांक 13.04.2015 से पूर्व प्राप्त किया जाना सुनिश्चित कर लिया जाय :–

1. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय/रा०मा०/वर्ल्ड बैक/ए०डी०बी०/आपदा/पी०एम०जी०एस०वाई०, लोक निर्माण विभाग, देहरादून/पौड़ी/अल्मोड़ा/हल्द्वानी/टिहरी/पिथौरागढ़।
2. मुख्य अभियन्ता स्तर–I/II (मुख्यालय), विभागाध्यक्ष कार्यालय।
3. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
4. प्राविधिक वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय।
5. प्रशासनिक अधिकारी, नियोजन–I, विभागाध्यक्ष कार्यालय।

प्रमुख अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग।